राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(ग)/ एसीपी 1983 –III/अलेसे–II/ 11820–821 दिनांकः– 04/03/2015

कार्यालय आदेश संख्या ......155....... /2014–15

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में **श्री विनोद कुमार अग्रवाल,** सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II जिनकी जन्मतिथि 17.03.1955 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 11.03.1985 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 27 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, इन्हें तृतीय ए.सी.पी. दिनांक 11.03.2013 (दो वेतनवृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण एक वर्ष पश्चात्) से वेतनमान पे–बैण्ड 9300–34800 एवं ग्रेड–पे 4800/– स्वीकृत किया जाता है एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण मे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे 5400/– स्वीकृत किया जाता है।

श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक **27.07.12** द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारो की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय/फौजदारी प्रकरण में जांच लम्बित नहीं है एवं गत वर्षो में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई है। **वित्त विभाग के आदेश एफ.20 (1) एफ.डी. (ग्रुप–2)/92 Pt (RSR–3/95) दिनांक 16.02.95 के अनुसार दिनांक 25.01.92 अथवा इसके पश्चात् किसी भी लेखाकार द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया है, इसकी भी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से कर ली जावे। उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थिरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।**

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ग)/ एसीपी 1983 –III/अलेसे–II/ 11820–821 दिनांकः– 04/03/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, कोषालय (ग्रामीण) जयपुर।
2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय कोषालय (ग्रामीण) जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

04/03/15

(डॉ0 नोपाराम पारीक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– II)